रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-03032022-233806
CG-MH-E-03032022-233806

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 921] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 2, 2022/फाल्गुन 11, 1943
No. 921] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 2, 2022/PHALGUNA 11, 1943

रेल मंत्रालय
(मध्य रेलवे)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2022

का.आ. 951(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिला में "वर्धा (सेवाग्राम) – नागपुर चौथी रेलवे लाइन" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात विशेष भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी नागपुर (शहर), जिला नागपुर, महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में खापरी-नागपुर सेक्शन के अंतर्गत 1 गाँव का सक्षम प्राधिकारी अर्थात विशेष भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, नागपुर (शहर) के अधीन विशेष रेल परियोजना वर्धा (सेवाग्राम) – नागपुर चौथी रेलवे लाइन के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण :

अ. क्र.	भू-संपादन प्र.क्र.	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	संयुक्त मोजणी अनुसार मौके पर भूधारक का नाम	सर्व्हे क्रमांक	न.भु. क्र.	भुधारणा पध्दती	7/12 अनुसार कुल क्षेत्र (वर्ग.मी.)	संयुक्त मोजणी अनुसार संपादित क्षेत्र (वर्ग.मी.)
1	14/अ-65/ 2021-22	सोमलवाडा	नागपूर शहर	लेआउट धारक का नाम है परंतु मौके पर सार्वजनिक रोड है	लेआउट धारक का नाम है	58/1	499	कृषी	46500	1968.23
2				प्रवीण भास्करराव बोरकुटे	प्रवीण भास्करराव बोरकुटे	58/1	499	कृषी		168.38
3				लेआउट धारक का नाम है परंतु मौके पर सार्वजनिक रोड है	नवनाथ गृहनिर्माण सहकारी संस्था नागपुर व मस्के ले आउट का रोड	57/2	501/1	कृषी	45767.80	2418.30
4				लेआउट धारक का नाम है परंतु मौके पर सार्वजनिक रोड है	नगर विकास को. औप. हाउसिंग सो.	54/2	521	कृषी	116008.00	79.50
5				नगर भूमापन क्रमांक नहीं	पांदन	56	-	कृषी		1125.65
								कुल		**5760.06**

[फा. सं. AQ/WR-NGP/चौथीलाइन/भूमि/20A/1 गाँव]

मनोज शर्मा, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2022

S.O. 951(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of **Section 20A** of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **Wardha (Sewagram)-Nagpur 4th line** in the district of Nagpur in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the **Competent Authority namely, Special Land acquisition Officer and Sub-Divisional Officer, Nagpur (City)**, District-Nagpur, Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project **Wardha (Sewagram)-Nagpur 4th line** in 1 village in **Khapri-Nagpur Section** under **Special Land acquisition Officer and Sub-Divisional Officer, Nagpur (City)**, in the district Nagpur in the State of Maharashtra.

S. No.	LAC No.	Name of the Village	Taluka	Name of holder as of Property Card	Name of landholder on the spot per JMR	Survey No.	City Survey No.	Land Holding System	Total area as per Property Card (Sq.m.)	Area to be Acquired as per JMR (Sq.m.)
1	14/ A-65 /2021-22	Somal wada	Nagpur City	Name of the layout holder but on the spot Public road	Name of the layout holder	58/1	499	Agriculture	46500	1968.23
2				Praveen Bhaskarrao Borkute	Praveen Bhaskarrao Borkute	58/1	499	eAgricultur		168.38
3				Name of the layout holder but on the spot Public road	Navnath Gruhnirman Sahkari Sanstha Nagpur And Muske Lay Out Road	57/2	501/1	Agriculture	45767.80	2418.30
4				Name of the layout holder	Nagar Vikash Co. Op.	54/2	521	Agriculture	11608.00	79.50

				but on the spot Public road	Hausing Society					
5				City Survey No. Not available	Paandan	56	-	Agriculture		1125.65
									Total	**5760.06**

[F. No. AQ/WR-NGP/Fourth Line/Land/20A/1 Village]

MANOJ SHARMA, Chief Admn. Officer (Construction)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM

Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.03.03 13:23:27 +05'30'